P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-7* March- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्धन तथा समुदाय की सहभागिता (जनपद चमोली के विशेष सन्दर्भ में)

पूजा
शोध छात्रा
गृहविज्ञान विभाग
हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय
श्रीनगर, गढ़वाल,
उत्तराखण्ड़, भारत

सारांश

प्रबन्धन एक ऐसा शब्द है जिससे जीवन का सफलतम भाग जुड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्धन का कार्य बच्चो को नियोजित करके विद्यालय के प्रति आकर्षित करना होता है। विद्यालय के निर्धारित उद्देश्यों का पूर्ति करने के लिए साधनों को एकत्र करना उनके अधिकतम उपयोग के लिए व्यवस्था करना ही शिक्षा का प्रबन्धन है। विद्यालय प्रबन्धन समिति भी सदैव यह प्रयास करती है। कि संस्था का कार्य संचालन सुव्यवस्थित रहे। प्रबन्धन के अर्न्तगत विद्यालय के लिए संसाधन जुटाना, अध्यापकों का चयन पुस्तकों की व्यवस्था एवं पूर्ति करना, कक्षा व्यवस्था करना, खेल साम्रगी उपलब्ध करना, बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों की व्यवस्था, प्रत्येक वर्ग के बच्चों का नामाकंन करवाना, ड्राप आउट रोकना, उपस्थिति नियमित रखना तथा मध्याह्न भोजन योजना का उचित ढंग से क्रियान्वयन करना, स्टेकहोल्डर से समन्वय बनाना आदि कार्य प्रबन्धन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। समुदाय में अभिभावक भी आते है। क्योंकि उनके बच्चें भी विद्यालय में पढ़ते है। समुदाय के सदस्य नियमित सहयोग, निगरानी तथा समन्वय करते है। एस0 एम0 सी0 की बैठकों के मुद्दों पर कार्यवाही करना तथा सुविधाएं जुटाना भी समुदाय करता है। विद्यालय प्रवन्धन समिति के कार्यों एवं योजना में भी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिससे विद्यालय की शैक्षिक प्रगति की जा सके । प्रस्तुत अध्ययन में जनपद चमोली (उत्तराखण्ड़) के दो विकासखण्ड़ों दषोली एवं जोशीमठ का चयन किया गया। निष्कर्ष में पाया कि दोनों विकासखण्ड़ों में प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन में समुदाय की भूमिका सकारात्मक रही है।

मुख्य शब्द : प्रबन्धन, सहभागिता, विद्यालय प्रबन्धन समिति, भागीदारी, समन्वय।

प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन के लिए सामुदायिक सहभागिता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी नीतिगत पहलुओं में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा गया है। विश्व भर में आम सहमति रही है कि शिक्षा में वांछित सुधार लाने के लिए परिवारों और समुदाय की सहभागिता अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है (जोम्टेन घोषणा 1990, यूनेस्को घोषणा 1994)। वैश्विक स्तर पर नीति –निर्माताओं, शिक्षाविदों, विद्वानों, शोधकर्ताओं आदि ने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनेक सुझाव एवं प्रस्ताव दिये हैं। डकार घोषणा पत्र में शिक्षा में समुदाय की सहभागिता को सबसे महत्वपूर्ण राजनीति के रूप में स्वीकार किया गया तथा कहा गया है कि सभी के लिए शिक्षा के समानता के अवसर बढ़ाकर जातीय सामाजिक एवं लैंगिक भेदभाव को मिटाना है। (डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2000) भारत में शिक्षा के सामुदायिक भागीदारी कोई नयी अवधारणा नहीं है। समुदाय को हमेशा बच्चों की शैक्षिक प्रगति के अभिन्न अंग के रूप में देखा गया है। स्कूली शिक्षा में विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रणनीति के रूप में सामुदायिक भागीदारी को शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1966 को अपनाने के साथ एक और बड़ा बढ़ावा मिला। इस नीति ने देश में विकेन्द्रीकृत योजना और प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन पर जोर दिया। नीति ने ग्रामीण स्तर पर स्कूल शिक्षा में प्रबन्धन और सुधार के लिए ग्राम शिक्षा समिति (VEC) के रूप में प्रत्यक्ष सामुदायिक भागीदारी की कल्पना की। प्रोग्राम ऑफ एक्शन (POA) 1992 ने इसे गति प्रदान करके ग्राम शिक्षा समितियों को और मजबूत किया। 73 वें और 74 में संवैधानिक संशोधनों में गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण के लिए एक मजबूत धरातल प्रदान किया। स्थानीय संस्थाओं या पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की शक्ति और

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-7* March- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भागीदारी को स्थानान्तरित करने के अवसर प्रदान किये। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) ने समुदाय के व्यवस्थित विकास और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने की एक प्रभावी प्रणाली के निर्माण को सबसे बड़ा महत्व दिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) के गठन की आवश्यकता के द्वारा स्कूल शिक्षा में स्थानीय स्कूल प्रशासन की भूमिका को व्यावहारिक मान्यता प्रदान की। इस प्रकार हम समुदाय की भागीदारी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं जिससे बच्चों की शैक्षिक प्रगति हो सके। (भारत सरकार SSA 2001)।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जनपद चमोली के दो विकासखण्डों जोशीमठ एवं दशोली का चयन किया गया।

शोध पत्र का उद्देश्य

जनपद चमोली के विकासखण्ड़ जोशीमठ और दशोली में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्धन तथा समुदाय की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना है

1. स्कूल सुधार के कार्यों में विद्यालय प्रबन्ध समिति की भागीदारी।
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों की कार्य सम्बन्धी जानकारीका विवरण।
3. विद्यालय प्रबन्ध समिति में सदस्यों की प्रतिभागिता।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में जनपद चमोली के दशोली और जोशीमठ विकासखण्डों के प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्धन तथा समुदाय की सहभागिता का अध्ययन किया गया है।

तालिका–1

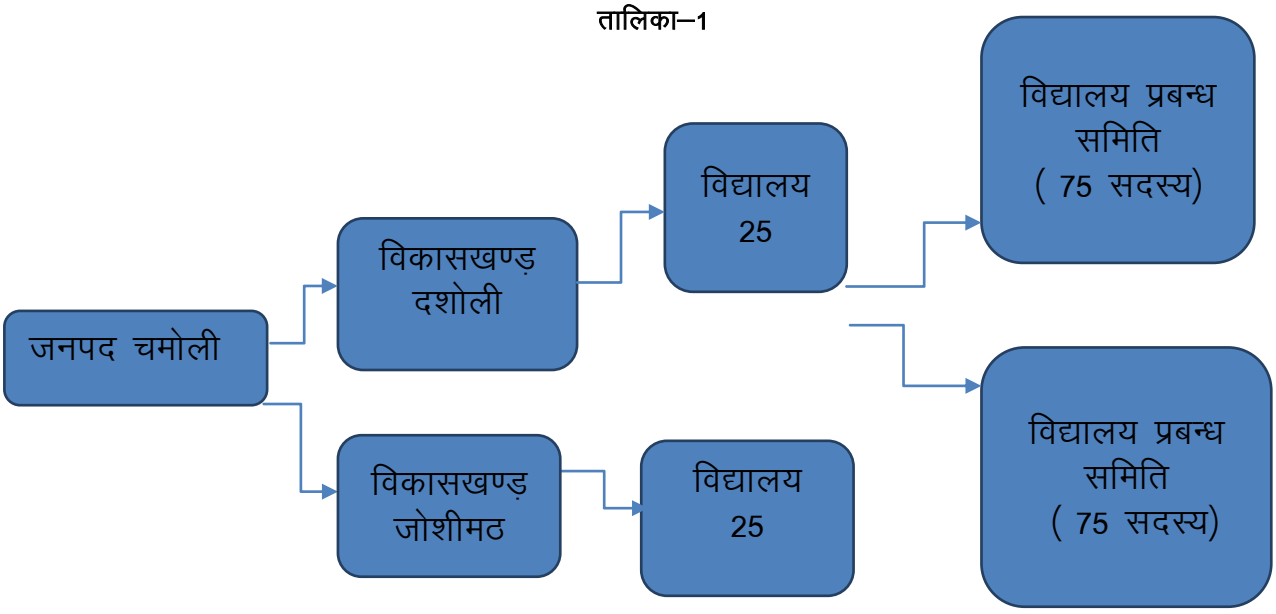

जनपद चमोली के 09 विकासखण्डों में से 02 विकासखण्डों का चयन सोदेश्य न्यादर्श विधि से किया गया। दोनों विकासखण्डों दशोली एवं जोशीमठ में स्थिति 25–25 विद्यालयों को चयनित किया गया उक्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्ध समिति (सदस्य) के 75–75 कुल 150 न्यादर्श के लिए चयनित किये गये।

उपकरण का प्रशासन और उपयोग

अध्ययन क्षेत्र से आंकड़ों के संग्रह के लिए स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण

प्रदत्त विश्लेषण हेतु प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया। विकासखण्ड दशोली एवं जोशीमठ के विद्यालय प्रबन्ध समिति (सदस्य) पर अनुसूची प्रशासित की गयी और आंकड़ों का संकलन किया गया।

विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा स्कूल में कई कार्य किये जाते है। स्कूल सुधार के कार्यों में विद्यालय प्रबन्ध समिति की भागीदारी का विवरण तालिका में प्रस्तुत है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-7* March- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका–2
स्कूल सुधार के कार्यों में विद्यालय प्रबन्ध समिति की भागीदारी

क्र. स.	विवरण	विकासखण्ड दशोली सं0= 75		विकासखण्ड जोशीमठ सं0= 75	
		नं0	प्रतिशत	नं0	प्रतिशत
1	स्कूल भवन	55	74	48	64
2	शौचालय	60	80	51	68
3	लडकियों के लिए पृथक शौचालय	58	78	54	72
4	बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर	30	40	24	32
5	पेयजल	52	70	45	60
6	बिजली	22	30	20	27
7	खेल मैदान	40	54	38	51
8	किचन शैड	51	68	44	57
9	कम्प्यूटर	15	20	12	16
10	पुस्तकालय	20	27	18	24
11	प्रयोगशाला	12	16	10	14
12	स्कूल के लिए भूमि की व्यवस्था	62	83	57	76
13	खेल सामग्री	45	60	42	56

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण 2018

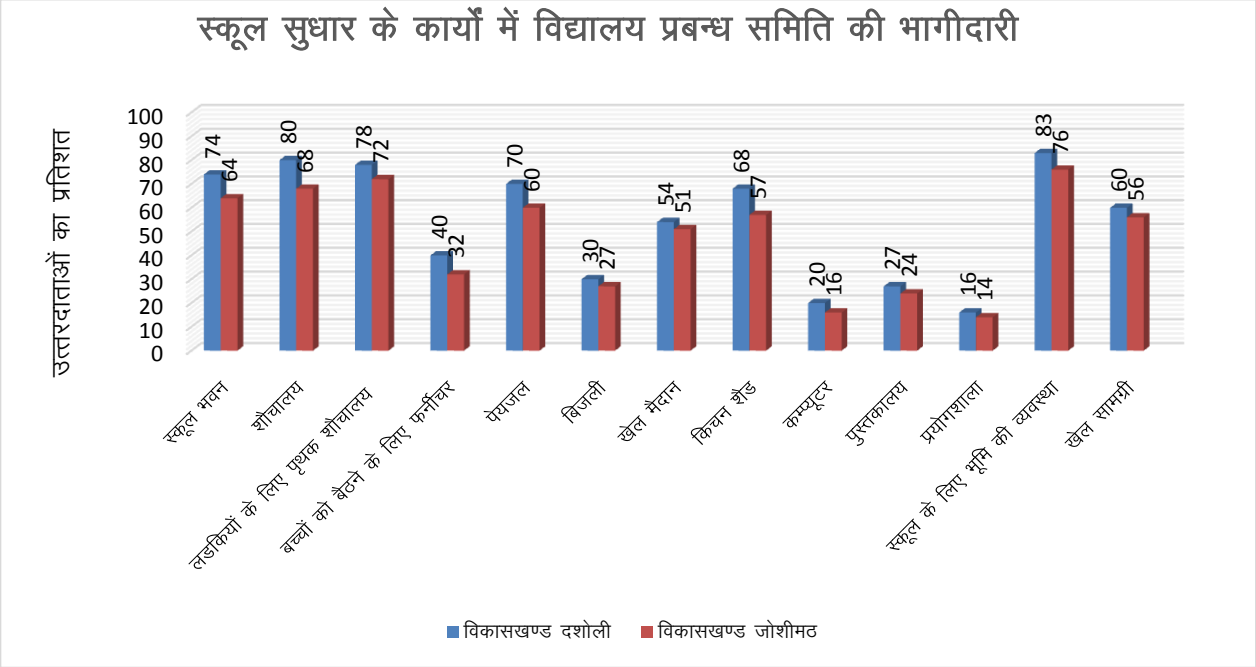

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद चमोली में पिछले चार–पॉच वर्षों में एस0एम0सी0 द्वारा स्कूल में किये गये सुधार के विवरणानुसार विकासखण्ड दशोली में सबसे अधिक सुधार शौचालय 60 (80 प्रतिशत), लड़कियों के लिए पृथक शौचालय 58 (77.33 प्रतिशत) तथा स्कूल के लिए भूमि व्यवस्था 62 (82.67 प्रतिशत) था। इसी प्रकार विकासखण्ड जोशीमठ में सबसे अधिक सुधार लड़कियों के लिए पृथक शौचालय 54 (72 प्रतिशत), स्कूल भवन 48 (64 प्रतिशत),पेयजल 45 (60 प्रतिशत), स्कूल के लिए भूमि व्यवस्था 57 (76 प्रतिशत) था।

विद्यालय प्रबन्ध समिति शिक्षा की प्रगति के लिए समय–समय पर कार्य करती रहती है। जिनसे शिक्षा सम्वर्धन होता है। तालिका में विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को उनके कार्यों के अभिज्ञान स्तर को मापने हेतु सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षित सदस्यों का अभिज्ञान स्तर का विवरण तालिका में दिया गया है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-7* March- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका–3
विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को विद्यालय सम्बन्धी कार्यों की जानकारी का विवरण

क्र0सं0	विवरण	विकासखण्ड दशोली सं0= 75		विकासखण्ड जोशीमठ सं0= 75	
		सं0	प्रतिशत	सं0	प्रतिशत
1	सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्धी नियम	45	60.00	50	66.67
2	शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी नियम	40	53.33	55	73.33
3	बालिका शिक्षा	35	46.67	42	56.00
4	मिड डे मील	62	82.67	65	86.67
5	नामांकन ड्राइव	60	80.00	52	69.33
6	लिंग भेद	53	70.67	50	66.67
7	बच्चों का स्कूलों ठहराव	52	69.33	42	56.00
8	शिक्षा की गुणवत्ता	54	72.00	51	68.00
9	वित्तीय प्रबन्धन	48	64.00	52	69.33
10	संज्ञान सहगामी गतिविधियां	42	56.00	38	50.67
11	बैठकों में सहभागिता	34	45.33	53	70.67
12	वित्तीय अधिकार	62	82.67	59	78.67
13	विद्यालय विकास योजना	54	72.00	62	82.67
14	बाल संरक्षण	52	69.33	61	81.33
15	पैरा शिक्षकों की नियुक्ति	35	46.67	40	53.33

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण 2018

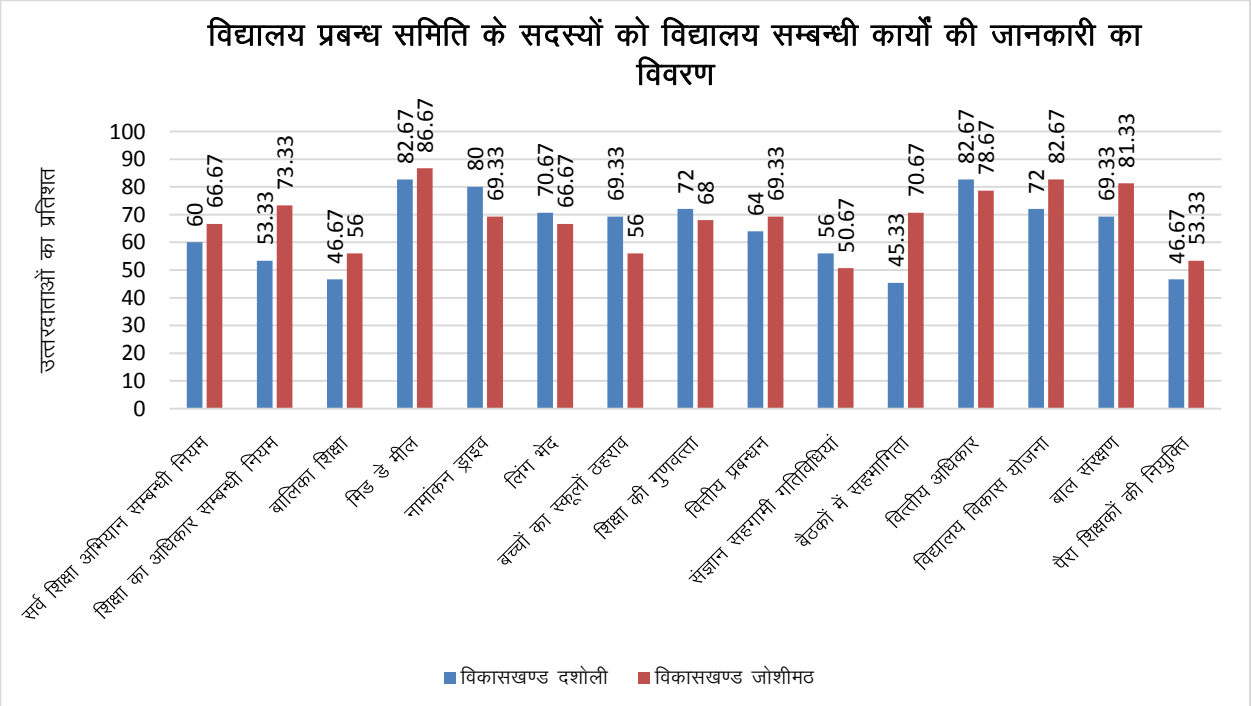

उपरोक्त तालिका में विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों की उन्हें प्राप्त विभिन्न कार्यों के ज्ञान के स्तर का आकंलन किया गया है। विकासखण्ड दशोली के सर्वेक्षित एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के कुल सर्वेक्षित सदस्यों में से मिड डे मील के सम्बन्ध में 62 (82.67 प्रतिशत), सर्वाधिक जानकारी रखते है।, इसी प्रकार विकासखण्ड़ जोशीमठ में भी मिड डे मील 65 (86.67 प्रतिशत), सर्वाधिक जानकारी रखते है।

निष्कर्ष

1. एस.एम.सी. के कई सदस्यों के पाल्य निजी स्कूलों में अध्ययनरत् है।
2. प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित चलाये जा रहे सरकारी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सदस्यों को लगभग जानकारी थी।
3. सदस्यों द्वारा आयोजित होने वाली बैठकों में शिक्षा की प्रगति की ओर संसाधनों से सम्बन्धित मुद्दे उठाये गये।
4. स्कूल प्रबन्ध समिति के सदस्य शिक्षकों से सम्पर्क नियमित रूप से नहीं करते हैं।
5. शिक्षकों से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन समिति के सदस्य विशेष रूप से नहीं करते हैं जैसे–पैराटीचर की भर्ती, अवकाश स्वीकृत, वेतन आहरण।
6. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यों के बारे में अधिकांश सदस्यों को जानकारी नहीं थी।
7. सदस्य होने के नाते स्कूल सम्बन्धी निरीक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन किये जाने के सन्दर्भ में सकारात्मक राय पायी गयी।
8. विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस0एम0सी0) द्वारा विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने के प्रस्तावित व्यय के बारे में बैठकों में अनुमोदन किये जाने के विषय में सदस्यों को जानकारी नहीं थी।
9. विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस0एम0सी0) के सदस्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा की निगरानी एवं पर्यवेक्षण गतिविधियों जैसे शिक्षकों का समय पर स्कूल जाना, शिक्षण कार्य, आदि के बारे में कोई जानकारी नही थी।
10. विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस0एम0सी0) सदस्यों द्वारा किये गये योगदान के सन्दर्भ में मध्याह्न भोजन, बच्चों की स्वच्छता, विद्यालय का निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति के विषय में योगदान पाया गया।

सुझाव

1. एस.एम.सी. के सभी सदस्यों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
2. विद्यालय विकास योजना (School Development Plan) को निर्मित करते समय सभी सदस्यों से विचार–विमर्श किया जाय।
3. बालिकाओं की नियमित उपस्थिति को सुनिष्चित करने हेतु एस.एम.सी सदस्यों को विशेष प्रयास करने के लिए आसानी से विचार कर पारदर्शी व्यवस्था बनायी जाय।
4. विद्यालय के वातावरण में रोचक एवं आकर्षक बनाने हेतु एस.एम.सी. को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। आज भी कई स्कूलों में बच्चों को बैठनें हेतु समुचित संसाधनों का अभाव है।
5. विद्यालय प्रबन्ध समिति को बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु स्कूलों में रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ्य पुस्तकें, कहानी संग्रह, सामान्य ज्ञान तथा बच्चों को प्रिय लगने वाली पुस्तकों की व्यवस्था कर ''एक कोना कक्षा का'' के विचार का विस्तार करना चाहिए जिससे कि बच्चों की नींव सुदृढ़ हो सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

अग्रवाल जे0सी0, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का स्कूल के प्रतिधारणा, भारत में प्राथमिक शिक्षा, विद्या विहार नई दिल्ली (1997)

अश्विनी, (2009) ग्रामीण शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता परिप्रेक्ष्य अंक 16, अप्रैल।

डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2000

जोम्टेन घोषणा 1990, यूनेस्को घोषणा 1994

द राइट ऑफ चिल्ड्रन टु फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाशित।

सिंह डी0पी0 प्रभा बाजपेयी, शिक्षा में प्रबन्धन ,विद्यालय प्रबन्धन एवं शिक्षा की समस्याएं, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर (1998),

शिक्षा की ओर जागृति, एस0एम0सी0 संदर्भ पुस्तिका, सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून। (2008)

शिक्षा की ओर जागृति, सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण, प्रशिक्षण डायरी 2016–17, सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना देहरादून।

Government of India. 2000. Sarva Shiksha Abhiyan: A Programme for Universal Elementary Education- Framework for Implementation, Ministry of Human Resource Development, Department of Elementary Education and Literacy: New Delhi